

# फर्द अहकाम


संजय                      बनाम                      रतन

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 45/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	17/10/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। इलाहाबाद तलकी हेतु दिनांक 21/11/23 को पेश हो
	21/11/23	पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब बौध अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 9/11/24 को पेश हो।
	09/01/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अश्विक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 लगन 4 के विकट मूलवाद में सम्मिलित तामिल भानी जाकर एक तरफा कार्यवाही जमल में त्राई जा चुकी है। प्रार्थी अश्विक्ता की प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर एउ पक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं प्रार्थी अश्विक्ता द्वारा दोराने बहस जादिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त उचित समझते हुए वादग्रस्त आरजी खसरा नं. 307/315 खसरा 1.3595 हेक्टर स्थित ग्राम खिजुरिया ब्राह्मणान श्री. अ. नि. सांभरिया तह. बस्सी जिला जयपुर के संबंध में उभयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्ष उक्त वादग्रस्त आरजी पर ताकैसला वाद मौके एवं रिकार्ड की प्रथास्थिति बनाये रखे।  पत्रावली बम्बर से कम होकर बाद तकनीक दायिल दफ्तर हो।

गालय : स  
दिनांक/प्रार्थना  
नांक आज्ञा  
कार्यवाही

  
 सहायक कलक्टर  
 बस्सी जिला-जयपुर